



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. मा.सं.प्र.-I/ए-11(1)/2025/अ.कें.आ./अ.कें.आ.(मुख्या.)/713

दिनांक: 01.08.2025

कार्यालय आदेश

विषय : नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्या. के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्या. के पद पर पदोन्नति हेतु 13.06.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., श्री डी. रेम्मी, अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्या. (तदर्थ) की पैनल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्या. के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

2. नियमित पदोन्नति होने पर, अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थल पर यथावत बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारी का तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. अधिकारी की वरिष्ठता क.भ.नि. स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्या. के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे:

"ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति की जाती है, वहां प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तारीख से विकल्प स्वीकार्य है, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना है।"

5. श्री डी. रेम्मी की नियमित आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्या. के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट को ईमेल rc1.hrm@epfindia.gov.in के माध्यम से एच आर एम, मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I/(मा.स.प्र.-I)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी

प्रति : (क.भ.नि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. क.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./ सभी अ. कें. आ. (मुख्य.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अ. कें.भ.नि. आ मुख्या./अंचल/ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय) / क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त-1 (प्रशा.) मुख्यालय/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी)
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आ.प्र.सं. के क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइलें।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/(मा.स.प्र.-1)